संचिका स0–11/आ0नी0 ii–04/2015 सा0प्र0 67 (11)

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

सचिव
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110001.

पटना–15, दिनांक– 05.09.2015

विषय :– **अति पिछड़ा समाज के मल्लाह निषाद (बिन्द, बेलदार, चॉई, तियर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, वनपर, केवट) एवं नोनिया जाति को बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में अनुरोध है कि कुमार मणि भूषण निषाद उर्फ राजू निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ट जद (यू0), बिहार, सिकंदरपुर कुण्डल, जिला–मुजफ्फरपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को सम्बोधित आवेदन के माध्यम से मल्लाह निषाद (बिन्द, बेलदार, चॉई, तियर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, वनपर, केवट) एवं नोनिया जाति को इनके आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं रोजगार में पिछड़ेपन को देखते हुए इन सभी उप जातियों/जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की मांग की गई है, ताकि इनका समग्र रूप से विकास हो सके।

कल्याणकारी राज्य होने के कारण विवेचित जातियों के समग्र विकास हेतु बिहार सरकार कृत संकल्प है।

अतः राज्य सरकार ने भलीभाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि मल्लाह निषाद (बिन्द, बेलदार, चॉई, तियर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, वनपर, केवट) एवं नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी जाए।

उक्त परिप्रेक्ष्य में विवेचित जातियों को बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी बिहार सरकार की अनुशंसा संसूचित की जाती है।

विश्वासभाजन

5.9.2015

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।